न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 61/2018

अनवान : –

1. पातो देवी पत्नी रामरख जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़–फौत

   1/1. गौतम पि0 मु पातोदेवी नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मन्जु देवी जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र जयलाल जाति ब्राहमण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. शिव कुमार पुत्र जयलाल जाति ब्राहमण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

3. हर बाई बेवा जयलाल जाति ब्राहमण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांकः 29/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 1 केएनएन के प०न० 357/373(41) के किला न0 16 ता 25/2.5300 हैक्ट तथा प०न० 357/374(52) किला न० 1 ता 5 की 1.265 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के पति/पिता भूमिहीन होने के कारण पुख्ता अलॉट हुई थी।

भूमि बाद आवंटन सदामत से सायला के पति के कब्जा कारत में चली आ रही है तथा रामरख की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सायला के कब्जा काश्त में है। उक्त भूमि में से गैरसायल संख्या 1 व 2 ने 4 बीघा भूमि का बैयनामा बताते हुए अपने नाम करवा ली तथा 2 बीघा भूमि मु० हरबाई पत्नी जयलाल गैरसायल संख्या 3 के नाम भी वैयनामा बताते हुए करवा ली। रामरख के कुल 15 बीघा भूमि आवंटन हुई थी रामरख एक मोला–माला व ग्रामीण गरीब व्यक्ति था उसके अपनढ़ व गरीबी का फायदा उठाते हुए तथा उसे धोखे में रखते हुए 9 बीघा भूमि सेटलमैन्ट के दौरान राजस्व [illegible] के [illegible] व कर्मचारियों से मिलीभगत करके विधि विरूद्ध तरीके से गैरसायल संख्या [illegible] रामरख फोत हो चुका है उसके कोई संन्तान नहीं थी त[illegible] पातो देवी का भी [illegible] हो चुका है। सेटलमैन्ट के दौरान विधि विरूद्ध तरीके से भूमि [illegible] नाम करवा रखी [illegible] सायला के हितो के मुकाबले शुन्य है जिसकी सायला न्यायालय से घोषणा करवा कर हाज जमाबन्दी चक 1 केएनएन के खाता संख्या 106 की प० नं0 357/373 (41) के किला नं0 16 ता 25 की 2.5300

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:14:36 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है०, तथा प० नं0 357/374 (52) के किला नं0 1 ता 5 की 1.265 है0 कुल 15 बीघा में से 9 बीघा भूमि सायला अपने नाम करवा पाने की अधिकारी है। सेटलमैन्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों को भूमि कम ज्यादा करने का कोई अधिकारी नहीं था फिर भी बिना किसी आधार के वे गैरसायलान के प्रभाव में आकर सायला को हक को हड़पने की नियत से उक्त भूमि अपने नाम करवाली जो सायला के हितो के मुकाबले शुन्य है। अप्रार्थीगण के नाम विधि विरूद्ध भूमि दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त भूमि को रहन, बेय व मुन्तकिल करना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 1 केएनएन के प०न० 357/373(41) के किला न0 16 ता 25/2.5300 हैक्ट तथा प०न० 357/374(52) किला न० 1 ता 5 की 1.265 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि रामरख स्वयं की थी एवं रामरख द्वारा अपने स्वयं की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा समस्त प्रतिफल लेकर अप्रार्थीगण को बैय की गई है। खरीद के समय से ही अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज हैं प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमिस सायल के पति/पिता को आवंटित थी भूमि बाद आवंटन सदामत से सायला के पति के कब्जा कारत में चली आ रही है तथा रामरख की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सायला के कब्जा काश्त में है। उक्त भूमि में से गैरसायल संख्या 1 व 2 ने 4 बीघा भूमि का बैयनामा बताते हुए अपने नाम करवा ली तथा 2 बीघा भूमि मु० हरबाई पत्नी जयलाल गैरसायल संख्या 3 के नाम भी बैयनामा बताते हुए करवा ली। रामरख के कुल 15 बीघा भूमि आवंटन हुई थी रामरख एक भोला भाला ग्रामीण गरीब व्यक्ति था उसके अपनढ़ व गरीबी का फायदा उठाते हुए तथा उसे धोखे में रखते हुए 9 बीघा भूमि सेटलमैन्ट के दौरान राजस्व राजस्व के अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत करके विधि विरूद्ध तरीके से गैरसायल संख्या 1 व 2 ने अपने नाम करवा ली। रामरख फोत हो चुका है उसके कोई संन्तान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:14:36 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नहीं थी तथा रामरख की पत्नी पातो देवी का भी देहान्त हो चुका है। सेटलमैन्ट के दौरान विधि विरूद्ध तरीके से भूमि अपने नाम करवा रखी है जो सायला के हितो के मुकाबले शुन्य है अप्रार्थीगण के नाम यह भूमि अनुचित तरीके से दर्ज हुई है इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा रामरख सायल के पति/पिता से खरीद की गई है एवं उक्त भूमि रामरख की स्वयं अर्जित भूमि थी।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के मुताबिक उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बैयनामो की चित्रप्रति से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा रामरख से खरीद की गई है एवं रामरख को उक्त भूमि आवंटित हुई थी इसलिए रामरख उक्त भूमि का बैयनामा/दानपत्र/वसीयत करने हेतु स्वतंत्र था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के खंडन में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है अर्थात बैयनामा आदिनांक वैध है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 04.06.2018 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/01/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:14:36 IST
Reason: SelfAttested